कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–7014 / 4288 दिनांकः 14-3-17

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम ।

विषयः Diversion of 0.016 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. II, PWD B&R Br., Gurugram for widening of road Hailymandi Farrukhnagar via Mehchana, km. 16.775 to 17.275 passing through Farrukhnagar Town, under forest division and District Gurugram, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Road/23210/2016

संदर्भः आपका पत्र कमांक 7927 दिनांक 2–3–2017 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 1670–व–2–2016 / 8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.016 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति / स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रस्ताव के साथ भेजी गई सी0ए0 स्कीम ठीक नहीं है । नारमल सी0ए0 स्कीम पुनः बनाकर तदानुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।

(iii) वायलेशन के फलस्वरूप प्रभावित वन भूमि के दो गुणा विस्तार में पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम बनाकर तदानुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(iv) प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website http://forestsclearance.nic.in या http://efclearance.nic.in के माध्यम से चालान जनरेट करके अपेक्षित राशि जमा करवाएगी ।

- नारमल सी0ए0स्कीम व पैनल सी0ए0स्कीम की एक–एक प्रति इस कार्यालय को भेजें और यदि नारमल / पैनल सी0ए0 साईट में परिवर्तन हो तो तदानुसार साईट मैप व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी साथ भेजा जाए ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

14/03/17

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम ।
2. Executive Engineer, Provincial Division No. II, PWD B&R Br., Gurugram.